



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारतीय राजव्यवस्था (उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-3



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009


दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtias.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें

 www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

 www.twitter.com/drishtias

13. भारत की न्यायपालिका	7-70
13.1 भारत की न्यायपालिका : एक परिचय	7
13.2 न्यायालयों की कार्यवाही तथा अन्य पक्ष	8
13.3 सर्वोच्च न्यायालय	13
13.4 जनहित याचिका	31
13.5 उच्च न्यायालय	34
13.6 अधीनस्थ न्यायालय	43
13.7 अधिकरण	47
13.8 विशेष उद्देश्य न्यायालय	52
13.9 न्यायपालिका में नवाचार	56
13.10 उत्तर प्रदेश न्यायपालिका	64
14. राज्य कार्यपालिका	71-89
14.1 राज्यपाल	71
14.2 मुख्यमंत्री	78
14.3 राज्य की मंत्रिपरिषद	81
14.4 राज्य का महाधिवक्ता	83
14.5 उत्तर प्रदेश कार्यपालिका	85
15. राज्य का विधानमंडल	90-110
15.1 विधानपरिषद	90
15.2 विधानसभा	92
15.3 सत्र, सत्रावसान तथा विघटन	94
15.4 विधानमंडल के पदाधिकारी	96
15.5 विधानमंडल की सदस्यता	97
15.6 विधानमंडल के विशेषाधिकार	100
15.7 विधि निर्माण की प्रक्रिया	101
15.8 विधानसभा और विधानपरिषद की तुलना	106
15.9 उत्तर प्रदेश विधानमंडल	107

16. केंद्र-राज्य संबंध	111-155
16.1 केंद्र-राज्य संबंध: परिचय	111
16.2 केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध	112
16.3 केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध	120
16.4 केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध	124
16.5 भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की प्रवृत्तियाँ	133
16.6 अंतर-राज्य संबंध	144
17. अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	156-162
17.1 पाँचवी अनुसूची	156
17.2 छठी अनुसूची	158
18. पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ	163-201
18.1 पंचायती राज	163
18.2 नगरपालिकाएँ	184
18.3 उत्तर प्रदेश पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रणाली	196
19. संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय	202-261
19.1 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	202
19.2 वित्त आयोग	205
19.3 संघ लोक सेवा आयोग	206
19.4 राज्य लोक सेवा आयोग	209
19.5 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग	211
19.6 निर्वाचन आयोग	211
19.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	214
19.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	216
19.9 भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी	217
19.10 नीति आयोग	218
19.11 राष्ट्रीय विकास परिषद	220
19.12 केंद्रीय सूचना आयोग	222
19.13 राज्य सूचना आयोग	225
19.14 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग	227
19.15 केंद्रीय सतर्कता आयोग	228

19.16	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	233
19.17	राज्य मानवाधिकार आयोग	236
19.18	उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग	237
19.19	राष्ट्रीय महिला आयोग	238
19.20	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग	240
19.21	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	241
19.22	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	243
19.23	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	245
19.24	भारत का परिसीमन आयोग	246
19.25	भारत का विधि आयोग	247
19.26	उत्तर-पूर्वी परिषद	249
19.27	भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग	251
19.28	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	251
19.29	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	252
19.30	भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त	254
19.31	राष्ट्रीय एकता परिषद	254
19.32	लोकपाल एवं लोकायुक्त	255
19.33	उत्तर प्रदेश लोकायुक्त	257
20.	उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था	262-284
20.1	उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन	262
20.2	गृह विभाग	265
20.3	ज़िला प्रशासन	266
20.4	उत्तर प्रदेश राजस्व व्यवस्था	271

सामान्यतः न्यायालय को विभिन्न लोगों या निजी संस्थानों के आपसी झगड़ों को सुलझाने वाले 'पंच' के रूप में देखा जाता है। परंतु न्यायपालिका आपसी झगड़ों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों को भी अंजाम देती है। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह 'कानून के शासन' की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। इस प्रकार न्यायपालिका कार्यपालिका और कार्यपालिका के कार्यों पर नज़र रखती है और इनके किसी भी प्रकार के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती है।

13.1 भारत की न्यायपालिका : एक परिचय (Judiciary of India : An Introduction)


न्यायपालिका के विभिन्न स्तर (Different Levels of Judiciary)

भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है जिसका प्रमुख कार्य केंद्र-राज्य विवादों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर विचार करना है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की अंतिम व्याख्या (Interpretation) करना तथा सिविल (Civil) व आपराधिक (Criminal) मामलों में अपीलों की अंतिम सुनवाई करना भी इसके कार्यों में शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय (High Court) हैं जो किसी राज्य की न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। केंद्र-राज्य विवादों या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर इनका क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नहीं है, किंतु इन विषयों को छोड़कर ये राज्य की सीमाओं के भीतर प्रायः वे सभी कार्य करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय देश के स्तर पर करता है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णयों को बदल सकता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण कर सकता है; पर उच्च न्यायालयों के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकता।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से 'उच्चतर न्यायपालिका' (Higher Judiciary) कहा जाता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालयों से नीचे के सभी न्यायालयों को सम्मिलित रूप से 'निम्नतर न्यायपालिका' (Lower Judiciary) या 'अधीनस्थ न्यायपालिका' (Subordinate Judiciary) कहा जाता है।

अधीनस्थ न्यायपालिका के भी कई उप-स्तर हैं। इनमें सर्वोच्च स्तर पर ज़िला एवं सत्र न्यायालय (District and Session Court) होता है तथा उसके नीचे 2 से 3 स्तरों पर उसके अधीन काम करने वाले अन्य न्यायालय। ये सभी न्यायालय प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील तो सुनता ही है; साथ ही उनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उनके कार्य की समीक्षा आदि उसी के हाथ में होती है।



सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी (वर्ष 1861 में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मार्गन थे जबकि वर्तमान (46वें) मुख्य न्यायाधीश बाबासाहेब भोसले हैं।

उत्तर प्रदेश न्यायपालिका का विस्तृत वर्णन 'उत्तर प्रदेश राज्य विशेष' बुकलेट के अध्याय 15 में (15.3 'उत्तर प्रदेश न्यायपालिका' शीर्षक के अंतर्गत) किया गया है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है, जबकि उच्च न्यायालयों से नीचे सभी न्यायालयों को सम्मिलित रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं।
- संविधान पीठ का गठन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। इसमें 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं।
- अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्यवाहियाँ सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होती हैं।
- संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। (रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा वाद 2002)।
- अधीनस्थ न्यायपालिका की भाषा के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये न्यायालय राज्य सरकारों की भाषा-नीति के अनुसार कार्य करते हैं।
- भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत 1 अक्टूबर, 1937 को स्थापित किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते।
- भारत के वर्तमान (46वाँ) मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं जिन्होंने अक्टूबर 2018 में अपना पदभार संभाला।
- वर्तमान में भारत के 29 राज्यों तथा 7 संघ राज्यक्षेत्रों के लिये कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। 2013 में तीन नए उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में स्थापित किये गए थे।
- लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
- उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।
- वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

- | | |
|---|--|
| <p>1. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) प्रभावी हुआ:
UPPCS (Mains) 2017</p> <p>(a) अक्टूबर, 2010 से (b) नवंबर, 2008 से
(c) जनवरी, 2011 से (d) अप्रैल, 2012 से</p> <p>2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
UPPCS (Mains) 2017</p> <p>(a) इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिये आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है।
(b) यह अंतर्शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है।
(c) यह, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या</p> | <p>किसी तथ्य को निर्दिष्ट किये जाने पर, सलाहकार अधिकारिता रखता है।
(d) इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है।</p> <p>3. भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
UPPCS (Mains) 2017</p> <p>(a) केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
(b) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा
(c) समस्त न्यायालयों द्वारा
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
|---|--|

4. नीचे दो कथन दिये गए हैं- **UPPCS (Pre) 2017**
अभिकथन (A): भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है।
कारण (R): भारतीय संविधान में कुछ "उधार की वस्तुएँ हैं"।
कूट:
 (a) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
 (b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (c) (A) सही है तथा (R) गलत है।
 (d) (A) गलत है तथा (R) सही है।
5. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह- **UPPCS (Mains) 2016**
 (a) सार्वजनिक महत्त्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है।
 (b) सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है।
 (c) विविध मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है।
 (d) उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है।
6. निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? **UPPCS (Mains) 2016**
 (a) द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है।
 (b) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
 (c) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
 (d) उच्च न्यायालय 'लोकहितवाद' से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है।
7. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के आधारभूत ढाँचे' के सिद्धांत को स्पष्ट किया है- **UPPCS (Mains) 2016**
 (a) गोलकनाथ वाद 1967 में
 (b) सज्जन सिंह वाद 1965 में
 (c) शंकर प्रसाद वाद 1951 में
 (d) केशवानंद भारती वाद 1973 में
8. निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसने 2016 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई?
UPPCS (Mains) 2016
 (a) कर्नाटक उच्च न्यायालय
 (b) पटना उच्च न्यायालय
 (c) कोलकाता उच्च न्यायालय
 (d) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
9. हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था **UPPCS (Mains) 2016**
 (a) डी.वाई. चन्द्रचूड (b) ए.एम. खानविलकर
 (c) एल. नागेश्वर राव (d) अशोक भूषण
10. भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
UPPCS (Mains) 2015
 (a) 1935 (b) 1937
 (c) 1946 (d) 1947
11. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है- **UPPCS (Mains) 2015**
 (a) 20 (b) 25
 (c) 30 (d) 31
12. संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? **UPPCS (Mains) 2015**
 (a) राष्ट्रपति (b) न्यायपालिका
 (c) संसद (d) मंत्रिमंडल
13. भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है- **UPPCS (Mains) 2015**
 (a) राष्ट्रपति में (b) लोकसभा में
 (c) सर्वोच्च न्यायालय में (d) मंत्रिमंडल में
14. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है?
UPPCS (Pre) 2015
 (a) परमादेश (b) अधिकार-पृच्छा
 (c) बंदी-प्रत्यक्षीकरण (d) प्रतिषेध
15. भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उप-राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? **UPPCS (Pre) 2015**
 (a) भारत के प्रधान न्यायाधीश
 (b) प्रधानमंत्री
 (c) लोकसभा के अध्यक्ष
 (d) भारत के महान्यायवादी

16. निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की?
UPPCS (Pre) 2015
- (a) गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
17. निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है?
UPPCS (Lower) Pre 2015
- (a) संसद (b) महान्यायवादी
(c) उच्चतम न्यायालय (d) राष्ट्रपति
18. निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है?
UPPCS (Lower) Pre 2015
- (a) परमादेश (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(c) उत्प्रेषण (d) प्रतिषेध
19. न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, जिन्हें 3 दिसंबर, 2015 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, हैं भारत के- **UPPCS (Lower) Pre 2015**
- (a) 44वें मुख्य न्यायाधीश
(b) 43वें मुख्य न्यायाधीश
(c) 42वें मुख्य न्यायाधीश
(d) 41वें मुख्य न्यायाधीश
20. भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है-
UPPCS (Mains) 2014
- (a) 138 (b) 140
(c) 142 (d) 146
21. निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी?
UPPCS (Pre) 2014
- (a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर- **UPPCS (Pre) 2014**
- (a) मुख्य न्यायाधीश को (b) राष्ट्रपति को
(c) प्रधानमंत्री को (d) विधि मंत्री को
23. निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के 'मूल ढाँचे' की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी?
UPPCS (Pre) 2014
UPPCS (Lower) Mains 2013
- (a) इंद्रा साहनी वाद (b) शंकर प्रसाद का वाद
(c) रुदल शाह का वाद (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
24. भारत में 'न्यायिक सक्रियता' संबंधित है-
UP (RO/ARO) Pre 2014
- (a) प्रतिबद्ध न्यायालय से
(b) जनहित याचिका से
(c) न्यायिक पुनरावलोकन से
(d) न्यायिक स्वतंत्रता से
25. न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है-
UPPCS (Mains) 2013
UPPCS (Mains) 2012
- (a) केवल भारत में
(b) केवल यू.के. में
(c) केवल यू.एस.ए. में
(d) भारत और यू.एस.ए. दोनों में
26. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है?
UPPCS (Mains) 2013
- (a) भारत की संचित निधि से
(b) राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की
(c) विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ-जहाँ उसने सेवा की
(d) भारत की आकस्मिक निधि से
27. किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी?
UPPCS (Mains) 2013
- (a) उच्चतम न्यायालय कानून, 1966 द्वारा
(b) भारतीय संविधान की धारा 145 द्वारा
(c) संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा
(d) भारतीय संविधान की अनुच्छेद 348 द्वारा
28. निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किये गए हैं?
UPPCS (Pre) 2013
1. अरुणाचल प्रदेश 2. मेघालय
3. मिज़ोरम 4. त्रिपुरा

- नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर-चुनिये:
- (a) केवल 1 और 3 में
(b) केवल 2 और 4 में
(c) केवल 1, 2 और 3 में
(d) 1, 2, 3 और 4
29. बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? **UPPCS (Pre) 2013**
(a) 1861 (b) 1851
(c) 1871 (d) 1881
30. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? **UPPCS (Pre) 2013**
(a) इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है।
(b) इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
(c) इसका केवल परामर्श संबंध क्षेत्राधिकार है।
(d) इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है।
31. संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते हैं, इसके-
UPPCS (Lower) Mains 2013
(a) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
(b) अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
(c) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
32. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत (बुनियादी ढाँचा सिद्धांत) का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है?
UPPCS (Lower) Pre 2013
(a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(b) सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
(c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(d) शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ
33. न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था-
UPPCS (Mains) 2012
(a) केवल भारत में है
(b) केवल यू.एस.ए. में है
(c) भारत और यू.एस.ए. में है
(d) केवल यू.के. में है
34. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढाँचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? **UPPCS (Mains) 2012**
(a) गोलकनाथ (b) ए.के. गोपालन
(c) केशवानंद भारती (d) मेनका गांधी
35. संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम कितनी होनी चाहिये? **UPPCS (Mains) 2012**
(a) पाँच (b) सात
(c) ग्यारह (d) तेरह
36. उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिये न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम कितनी होनी चाहिये?
UPPCS (Mains) 2012
(a) दस (b) नौ
(c) सात (d) पाँच
37. संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है?
UPPCS (Pre) 2012
(a) राष्ट्रपति को (b) किसी भी हाई कोर्ट को
(c) प्रधानमंत्री को (d) उपरोक्त में सभी को
38. भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है?
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) संसद
(c) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
(d) विधि आयोग
39. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:
सूची-I **सूची-II**
A. शमनीय अपराध 1. कार्यवाहियों के लिये पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं।
B. अशमनीय अपराध 2. बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं।
C. असंज्ञेय अपराध 3. मामले को आपसी समझौते से निपटाने की छूट।

- D. संज्ञेय अपराध
4. दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते और न ही इनमें अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार होता है।

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	4	3	1	2
(c)	1	2	3	4
(d)	2	4	1	3

40. किसी दोष सिद्ध अपराधी को न्यायालय द्वारा 5, 4 तथा 3 वर्षों के सहवर्ती दंड दिये गए हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी की अधिकतम सजा होगी:

- (a) 12 वर्ष (b) 5 वर्ष
(c) 9 वर्ष (d) 8 वर्ष

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यदि किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण की एक से अधिक स्थायी पीठें होती हैं तो उसकी प्रमुख पीठ को 'प्रधान पीठ' जबकि शेष पीठों को अन्य पीठ कहा जाता है।
- इलाहाबाद पीठ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की 'प्रधान पीठ' जबकि लखनऊ पीठ 'अन्य पीठ' की स्थिति में है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, प्रशासनिक अधीक्षण की नहीं।
- यदि सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या अधिकरण किसी उच्च न्यायालय के राज्यक्षेत्र में आता हो तो भी उच्च न्यायालय उस पर अधीक्षण की शक्ति नहीं रखता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

43. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कौन-से कथन सही हैं?

- जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है।
- राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिये बाध्य है।

कूट:

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

44. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं?

- (a) केंद्रीय गृह मंत्री
(b) भारत का महान्यायवादी
(c) राष्ट्रपति
(d) लोकसभा अध्यक्ष

45. लोक अदालत के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?

- यदि कोई आपराधिक मामला शमनीय प्रकृति का है तो उसे लोक अदालत में नहीं लाया जा सकता है।
- लोक अदालत को सिविल न्यायालय की मान्यता दी गई है।
- लोक अदालतों के निर्णयों के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है।
- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

कूट:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

46. ग्राम न्यायालय के संबंध में कौन-से कथन सही हैं?

- ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है।
- ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का एक न्यायाधीश होता है जिसे 'न्यायाधिकारी' नाम दिया गया है।
- न्यायाधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर उच्च न्यायालय करती है।

कूट:

- (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3


उत्तरमाला

1. (a) 2. (a) 3. (b) 4. (b) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (d) 9. (c) 10. (b)
 11. (d) 12. (b) 13. (c) 14. (c) 15. (a) 16. (c) 17. (c) 18. (b) 19. (b) 20. (c)
 21. (d) 22. (b) 23. (d) 24. (b) 25. (d) 26. (a) 27. (d) 28. (b) 29. (a) 30. (d)
 31. (b) 32. (c) 33. (c) 34. (c) 35. (a) 36. (d) 37. (a) 38. (b) 39. (a) 40. (b)
 41. (c) 42. (c) 43. (a) 44. (c) 45. (b) 46. (d)

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
2. अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिये कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिये?
3. 'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोएक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिये, हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।
4. 'संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।' समालोचनात्मक विवेचना कीजिये।
5. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों की व्याख्या करते हुए समझाइये कि यह किस प्रकार संविधान की रक्षा करता है?
6. "उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता न्यायपालिका का आधार है।" इसकी समीक्षा कीजिये।
7. न्यायपालिका में होने वाले नवाचार पर प्रकाश डालते हुए समझाइये कि यह जरूरी क्यों हैं?
8. "राष्ट्रीय मुकदमा नीति सरकार को न्यायिक व्यवस्था में जिम्मेदार बनाता है।" इसकी समीक्षा कीजिये।

संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य के महाधिवक्ता से मिलकर बनती है।



14.1 राज्यपाल (The Governor)

‘राज्यपाल’ का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। इस तरह राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है।

मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा (अनुच्छेद 153)। बाद में, संविधान के 7वें संशोधन, 1956 के माध्यम से इसमें परंतुक (Proviso) जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of the Governor)

संविधान सभा इस प्रश्न पर काफी दुविधा में थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। संघात्मक देशों में राज्यपाल प्रायः जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है। इसके विपरीत, कनाडा में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। संविधान सभा के सामने सवाल था कि भारत की परिस्थितियों के लिये इनमें से कौन-सा रास्ता उचित होगा।

लंबे विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा ने तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना ही उचित होगा। इस निष्कर्ष तक पहुँचने के निम्नलिखित आधार थे-


- भारत के विभाजन के कारण संविधान सभा समझ गई थी कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिये एक मजबूत केंद्र का होना ज़रूरी है। इसके लिये केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर था।
- अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने की बजाय स्वयं ही शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता।
- अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति स्वभावतः किसी दल या गठबंधन से जुड़ा होता। इससे उसकी तटस्थता प्रभावित होती और यह राज्य के स्वस्थ शासन के लिये अच्छा न होता।
- चूँकि राज्यपाल को सिर्फ औपचारिक प्रमुख की भूमिका निभानी थी, इसलिये उसके चुनाव पर बहुत सारा धन खर्च करने तथा अनावश्यक जटिलताओं को आमंत्रित करने की उपयोगिता नहीं थी।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

नोट: केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, किंतु राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं।

संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक 'राज्य का विधानमंडल' का उल्लेख है।

संविधान निर्माताओं ने केंद्र की तरह राज्यों के लिये भी संसदीय प्रणाली को उपयुक्त समझा था। जिन राज्यों में एक ही सदन है, उस सदन को 'विधानसभा' (Legislative Assembly) कहा जाता है। 'विधानपरिषद' (Legislative Council) दूसरा सदन है जो कुछ ही राज्यों में है। केंद्रीय विधायिका से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि 'विधानसभा' की भूमिका प्रायः 'लोकसभा' के समान है जबकि 'विधानपरिषद' की 'राज्यसभा' के समान।

अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल (Legislature) होगा। विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा अभिन्न हिस्से होंगे। जिन राज्यों में विधानपरिषद है, उनका विधानमंडल इन दोनों के साथ उसे जोड़ने से पूरा होगा।



15.1 विधानपरिषद (The Legislative Council)

विधानपरिषद से संबंधित विशिष्ट प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 तथा अनुच्छेद 171 में दिये गए हैं।

सृजन तथा उत्सादन (Creation and Abolition)

अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधानपरिषद के सृजन (Creation) या उत्सादन (Abolition) की क्या प्रक्रिया होगा। इसके अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधानपरिषद का सृजन या उत्सादन करने के लिये विधि बना सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधानपरिषद के सृजन या उत्सादन के लिये कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

मूल संविधान में कुल 8 राज्यों- **आंध्र प्रदेश, बिहार, बंबई** (अब महाराष्ट्र), **तमिलनाडु, मैसूर** (अब कर्नाटक), **पंजाब, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** के लिये द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी जबकि बाकी राज्यों के लिये एक ही सदन अर्थात् विधानसभा की। आगे चलकर, दो सदनों वाले राज्यों में से कुछ ने महसूस किया कि उनके विधायी कार्यों के लिये एक सदन पर्याप्त है, विधानपरिषद की विशेष उपयोगिता नहीं है। ऐसे राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानपरिषद के उत्सादन के लिये संकल्प पारित करके संसद को सौंप दिया तथा संसद ने विधि द्वारा उन राज्यों से विधानपरिषदों को हटा दिया। इस उपबंध के तहत संसद ने **पंजाब (1969), पश्चिम बंगाल (1969), आंध्र प्रदेश (1985)** तथा **तमिलनाडु (1986)** की विधानपरिषदों के उत्सादन के लिये अधिनियम पारित किये हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पुनः विधानपरिषद के गठन का संकल्प पारित किया जिसके प्रत्युत्तर में 2005 में संसद ने 'आंध्र प्रदेश विधानपरिषद अधिनियम, 2005' पारित किया है। 1985 में उत्सादित किये जाने के बाद आंध्र प्रदेश की विधानपरिषद 2007 में पुनः गठित की गई।

जिन देशों का संविधान संघात्मक (Federal) या परिसंघात्मक (Confederal) होता है, उनके सामने यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों तथा दायित्वों का बँटवारा कैसे हो? यह समस्या इंग्लैंड जैसे एकात्मक देशों के सामने नहीं उठती, क्योंकि वहाँ संघ की शक्ति में हिस्सा मांगने वाले राज्यों का अस्तित्व नहीं है; पर अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत जैसे देशों के संविधानों को इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होता है।

16.1 केंद्र-राज्य संबंध: परिचय (Centre-State Relations: Introduction)

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ और दायित्व कैसे बँटेंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे- ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक संपर्क, संचार व परिवहन की सुविधाएँ, जनता की इच्छा, विभिन्न राज्यों का चरित्र इत्यादि। यही कारण है कि विभिन्न संघात्मक देशों में शक्तियों व दायित्वों के वितरण की मात्रा तथा प्रकृति में अंतर है। एक ओर भारत व कनाडा जैसे देश शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में झुके हुए हैं तो दूसरी ओर स्विट्ज़रलैंड सशक्त राज्यों की तरफ। अमेरिका की स्थिति इतिहास के साथ बदलती रही है और वर्तमान में वह केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन की स्थिति में है।

देखा जाए तो केंद्र और राज्यों में कुल 4 प्रकार की शक्तियों (व दायित्वों) का बँटवारा हो सकता है- विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय। अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बँटवारा केंद्र और राज्यों में किया गया है, किंतु भारत में तीन ही शक्तियों (न्यायिक के अलावा) का वितरण होता है। इसका कारण यह है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है अर्थात् केंद्र और राज्य के न्यायालय अलग-अलग न होकर एक ही सोपानक्रम में स्थित हैं। शेष तीनों शक्तियों व दायित्वों का विभाजन भारतीय संविधान में भी किया गया है।

शक्तियों का विभाजन करने का सामान्य तरीका यह है कि केंद्र और राज्य जिन विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होंगे, उनकी सूचियाँ बना ली जाएँ। इन सूचियों को ही केंद्र/संघ सूची (Union List) तथा राज्य सूची (State List) कहा जाता है। जो विषय दोनों सूचियों में शामिल नहीं होते, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने या प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास होगी या राज्यों के पास। कुछ देशों में एक तीसरी सूची भी होती है जिसे समवर्ती सूची (Concurrent List) कहते हैं। इसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने व प्रशासन करने की शक्ति होती है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि दोनों के कानूनों में विरोध होने पर किसके कानून को वैध माना जाएगा।

संविधान निर्माण के समय भारत की स्थिति भी अत्यंत जटिल थी। लगभग 600 रियासतों को जोड़कर भारत बना था और धर्म, जाति, भाषा, जनजाति एवं नस्ल जैसे मुद्दों पर विघटन व अलगाव के बड़े खतरे मौजूद थे। संविधान सभा शुरू में तो राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने के पक्ष में थी, किंतु पाकिस्तान के निर्माण तथा उस प्रक्रिया में उभरने वाली सांप्रदायिकता को देखकर उसकी राय बदल गई। इसी समय, भाषा के मुद्दे पर जिस तरह देश में विघटन का माहौल बना, उसने भी संविधान सभा को मजबूत केंद्र की स्थापना के लिये प्रेरित किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा ने तीन सूचियाँ बनाई- केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गईं। इसके अलावा, यह प्रावधान भी किया गया कि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही वैध माना जाएगा। गौरतलब है कि समवर्ती सूची 1935 के 'भारत शासन अधिनियम' में भी थी, पर उसमें शामिल विषयों पर मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय की शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। संविधान सभा ने यह शक्ति केंद्र को सौंप दी।

भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध मुख्यतः भाग-11 में दिये गए हैं जिसका शीर्षक है- 'संघ और राज्यों के बीच संबंध'। इस भाग में दो अध्याय हैं। पहले में विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) बताए गए हैं जबकि दूसरे में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध (अनुच्छेद 256-263)। जहाँ तक वित्तीय संबंधों का सवाल है, उनकी चर्चा

हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं, जहाँ जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करता है। सभी जनजातियों की जीवन शैली एक जैसी नहीं है। कुछ ने शोष समाज के साथ सक्रिय संवाद करते हुए खुद को मुख्यधारा में शामिल कर लिया है, जबकि कुछ समुदाय अभी भी अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ जी रहे हैं और शोष समाज के साथ नज़दीकी संबंधों की इच्छा नहीं रखते। स्वाभाविक है कि हम इन परंपरागत समाजों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे रातोंरात हमारे कानूनों तथा नियमों का पालन करने की इच्छा दिखाएँ। इसलिये संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि ऐसे समुदायों को शोष समाज से कितना और कैसे जोड़ा जाए और जब तक ऐसा न हो तब तक उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता तथा मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए।

संविधान का भाग-10, जिसमें अनुच्छेद 244 ही एकमात्र अनुच्छेद है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये रखा गया है। इसके उपबंधों की संपूर्ण व्याख्या संविधान की दो अनुसूचियों- अनुसूची 5 तथा 6 में की गई है, जिनमें जनजाति-बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) तथा जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, '22वें संशोधन, 1969' के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244(क) भी जोड़ा गया था जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य (Autonomous State) की स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद 244 के दो खंड हैं, जो क्रमशः पाँचवी तथा छठी अनुसूचियों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 244(1) में कहा गया है कि पाँचवी अनुसूची के प्रावधान चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम) को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिये लागू होंगे। इसके विपरीत अनुच्छेद 244(2) के प्रावधान सिर्फ चार राज्यों पर लागू होते हैं, जिन्हें पिछले खंड में अलग रखा गया है। इसमें कहा गया है कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये लागू होंगे।

अनुच्छेद 244 के दोनों खंडों की भाषा पर ध्यान दें तो पाएंगे कि पाँचवी अनुसूची के संबंध में 'अनुसूचित क्षेत्र' शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जबकि छठी अनुसूची के संबंध में 'जनजातीय क्षेत्र' शब्दावली का। स्पष्ट है कि ये दोनों संकल्पनाएँ भिन्न हैं। हम दोनों अनुसूचियों के प्रमुख प्रावधानों को पढ़कर इस अंतर को समझ सकते हैं।

17.1 पाँचवी अनुसूची (5th Schedule)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाँचवी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244(1) से है और इसके प्रावधान भारत के चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम) के अलावा शेष सभी राज्यों पर लागू होते हैं। इस अनुसूची के प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- **अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण (Determination of Scheduled Areas):** राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वह ऊपर बताए गए 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा।
- **केंद्र व राज्य की शक्तियाँ (Powers of the Centre and States):** अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का बँटवारा इस प्रकार किया गया है कि साधारणतः राज्य ही इन क्षेत्रों का प्रशासन संभालें, किंतु केंद्र इस प्रशासनिक व्यवस्था की लगातार जाँच कर सके और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिये बाध्य कर सके। दोनों की शक्तियों से जुड़े प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
 - ◆ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिये सक्षम है।

लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होता है, जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुँच जाती है। इसका आदर्श रूप यह होना चाहिये कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों, जैसे पानी, सड़क, सफाई आदि के प्रशासन में निर्णायक भूमिका हो तथा व्यापक स्तर के मुद्दों के लिये उसे अपने प्रतिनिधि चुनने तथा उनसे संवाद व सवाल-जवाब करने का हक हो, जो उसकी ओर से कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आजकल इस आदर्श को 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) कहा जाता है।

आजकल दुनिया भर में सहभागितामूलक लोकतंत्र की बयार चल रही है और वह हर देश के सत्ताधारियों को बाध्य कर रही है कि वे शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करें। सामान्य राय यह बनती जा रही है कि स्थानीय महत्त्व के मुद्दों पर निर्णय की शक्ति उसी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिये और ऊपर के स्तरों पर वही काम किये जाने चाहिये, जो नीचे के स्तरों पर न किये जा सकते हों। भारत में भी 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'स्थानीय स्वशासन' की धारणाएँ नई नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा 'पंचायती राज' कहलाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 'नगरपालिका' या 'नगर निगम'।

18.1 पंचायती राज (Panchayati Raj)

ध्यातव्य है कि जो देश संघात्मक (Federal) राजव्यवस्था को अपनाते हैं, उनके संविधान में सत्ता के दो स्तर होते हैं- संघ तथा राज्य। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यही व्यवस्था कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि "इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा" जिसमें निहित है कि शक्ति का वितरण संघ व राज्यों के बीच किया जाएगा। संघात्मक देशों में स्थानीय स्वशासन का ढाँचा तय करने की शक्ति सामान्यतः राज्यों के हाथ में होती है और इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत में भी संविधान लागू होने के समय (1950) से 1993 तक यही व्यवस्था थी, किंतु इसमें निहित कमज़ोरियों को देखते हुए तथा जनता की सीधी भागीदारी का महत्त्व समझते हुए हमारी संसद ने (अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों के सहयोग से) 1992-93 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन किये, जिन्हें '73वाँ' तथा '74वाँ संशोधन' कहा जाता है। इन संशोधनों ने हमारे संविधान में सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया, जिसे गाँवों के लिये 'पंचायत' और शहरों के लिये 'नगरपालिका' कहा गया। इन संशोधनों ने हमारी राजव्यवस्था को संघात्मक ढाँचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमारे संविधान में सत्ता के तीन स्तर निर्धारित हैं- संघ, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लक्षित इन प्रयासों की कुछ सीमाएँ तो हैं, किंतु लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचने की दृष्टि से इन्हें 'मौन क्रांति' की संज्ञा देना गलत न होगा।

पंचायती राज का क्रमागत विकास (Evolution of Panchayati Raj)

प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की लंबी परंपरा रही है पर ब्रिटिशों के आगमन के बाद स्थिति बदलने लगी। परंपरागत पंचायतें अंग्रेजों के लिये अनुपयोगी थीं। 1773 के 'रेग्यूलेशन एक्ट' के तहत गाँवों के लिये जो जमींदार नियुक्त किये गए थे, वे पंचायतों से स्वतंत्र थे और सरकार के प्रति जवाबदेह थे। आगे चलकर सिविल तथा आपराधिक न्यायालयों के गठन के साथ पंचायतों की भूमिका और कमज़ोर हो गई।

1857 के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगा कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बिना इतने बड़े देश का शासन चलाना उसके लिये संभव नहीं है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था।

संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Constitutional, Extra-constitutional, Statutory, Regulatory and Various Quasi-Judicial Bodies)

विदित है कि संसदीय शासन प्रणाली का आधार कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है तथा कार्यपालिका पर विधायिका के इस नियंत्रण का प्रमुख आधार यह है कि विधायिका वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करती है। अतः अपने उत्तरदायित्व के समुचित निर्वहन के लिये विधायिका को एक ऐसे अभिकरण की आवश्यकता होती है, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए सरकार के वित्त संबंधी व्यवहारों की समीक्षा करके उसके परिणामों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करे। इस प्रकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है और इस रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वित्त प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी होता है।

19.1 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद भारतीय वित्त प्रशासन में सर्वाधिक महत्त्व वाले पदों में से है। वह देश (संघ और राज्य दोनों) की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। उसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था— “नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्त्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और इस रूप में उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना भारत या किसी राज्य की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च न किया जाए।”

संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148-151 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से संबंधित महत्त्वपूर्ण उपबंधों का उल्लेख किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ऐतिहासिक विकास पर नजर डालें तो यह पूर्णतः स्पष्ट है कि भारत में विद्यमान सार्वजनिक लेखा और अंकेक्षण की व्यवस्था तथा भारत का लेखा एवं अंकेक्षण विभाग हमें औपनिवेशिक शासन से विरासत में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम सन् 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक आय-व्यय के परीक्षण तथा नियंत्रण के लिये लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की गई। सन् 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लेखा प्रमाणन कार्य हेतु बंबई, कलकत्ता और मद्रास की प्रेसीडेंसियों में महालेखापरीक्षक पद को सृजित किया गया। सन् 1905 में भारत में ‘लेखा-परीक्षा विभाग’ की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति राज्य सचिव द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रसादपर्यंत अपने पद पर कार्य करता था। सन् 1920 से महालेखापरीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से उसके पद तथा स्तर में वृद्धि करते हुए महालेखापरीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्रदान की गई। सन् 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो महालेखापरीक्षक का नाम बदलकर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कर दिया गया तथा उसे उच्चतम न्यायालय के समान एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1976 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमा के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के लेखा परीक्षण तथा सभी तरह के वित्तीय लेन-देन के समस्त लेखे सम्मिलित थे, परंतु 1976 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखांकन संबंधी दायित्व से पूर्णतः मुक्त करते हुए उसके कार्यों को केवल

20.1 उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन (*Uttar Pradesh State Administration*)

राज्य सचिवालय वह स्थान है जहाँ से शासन व प्रशासन के सत्ता-सूत्रों का संचालन होता है। यह नीति-निर्माता के रूप में राजनीतिक नेतृत्व और नीति-क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की कार्यस्थली है। सचिवालय में नीतियाँ तथा कार्यक्रम आकार लेते हैं तथा यहाँ से उनके क्रियान्वयन के लिये आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं।

सचिवालय प्रदेश सरकार का सर्वोच्च कार्यालय है। कार्य की सुविधा और शीघ्र निष्पादन के लिये यह विभिन्न शाखाओं में विभाजित है, जिसमें एक या अधिक विभाग हैं। प्रत्येक विभाग एक या अधिक अनुभागों में विभाजित हैं। अनुभाग ही इस संगठन की मूल इकाई है।

मुख्य सचिव, संपूर्ण सचिवालय के कार्य को नियंत्रित करता है। वह सचिवालय संगठन का मुखिया है। सचिवालय के विभिन्न विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव के संपूर्ण प्रभार के अंतर्गत कार्य करते हैं। अनुभागों के प्रभारी अनुभाग अधिकारी होते हैं जो राजपत्रित स्तर के होते हैं। अनुभागों में एकाधिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक व अनुसेवक कार्यरत हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अवध के नवाब वज़ीर द्वारा अपनी सूबेदारी का एक बड़ा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दिये जाने के उपरांत कंपनी ने वर्ष 1801 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में इस क्षेत्र के प्रशासन हेतु बरेली मुख्यालय पर एक बोर्ड की स्थापना की थी, उस समय एक सेक्रेटरी और कुछ क्लर्क स्वीकृत किये गए थे। कंपनी के अधिकार में और क्षेत्र बढ़ने पर 1834 में कुछ ही समय के लिये इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया गया, परंतु 1836 में नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज के सृजन पर मुख्यालय आगरा स्थानांतरित हो गया। जनवरी 1858 में लार्ड कैनिंग द्वारा शासन का मुख्यालय आगरा से पुनः इलाहाबाद लाया गया और बाद में अवध क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए मार्च 1902 में पूरे सूबे का एक नया नाम आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत (United Provinces of Agra and Oudh) दिया गया। वह मुख्यालय अब तक सचिवालय का स्वरूप धारण कर चुका था।

राज्य सचिवालय का प्रथम पुनर्गठन वर्ष 1883 में किया गया जिसमें मुख्य सचिव की सहायता के लिये एक वित्त और दूसरे न्याय सचिव की नियुक्तियाँ की गईं। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई और मुख्य अभियंता, भवन सड़क (P.W.D.) सचिवालय में अपने विभागों में सचिव के रूप में भी कार्य करते थे।

भारत सरकार अधिनियम, 1911 के अधीन जनवरी 1921 में जब स्थानीय शासन के अधीन बहुत सारे नए-नए विषय ट्रांसफर हुए तो राज्य सचिवालय का दोबारा पुनर्गठन हुआ जिसके फलस्वरूप छः नए सचिवों की नियुक्तियाँ हुईं और निचले स्तरों पर सचिवालय का विस्तार हुआ। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1921 में प्रदेश में लेजिस्लेटिव कौंसिल की स्थापना के फलस्वरूप लखनऊ अधिकांशतः गवर्नर का निवास स्थान बन गया। कार्य-सुविधा की दृष्टि से सचिवालय के विभाग शनैः-शनैः इलाहाबाद से लखनऊ आने लगे और अंततः वर्ष 1932 में नियुक्त पन्ना लाल-मैकलेयाड कमेटी की संस्तुति से संपूर्ण सचिवालय वर्ष 1935 में लखनऊ आ गया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत हुए नए परिवर्तनों के फलस्वरूप सचिवालय का और भी विस्तार हुआ। नए संविधान के अनुरूप सचिवालय में कार्य निष्पादन हेतु वर्ष 1937 में Rules of Executive Business की रचना की गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के चतुर्दिक विकास को सर्वोच्च वरीयता देते हुए आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने तथा नियोजित पंचवर्षीय योजनाओं का महत्वपूर्ण दायित्व अपने ऊपर लिया जिसके फलस्वरूप राज्य स्तर पर सचिवालय एवं फील्ड स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यालयों का तेजी से विकास हुआ।